U

(1)

211

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्याः 4225 / प्र0अ0 / सि0वि / कार्मिक–2 / ई–6 / संघ दिनांक 8 जून 2018

विषयः स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) केकिये गये स्थानान्तरण के संबंध में।

समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

सूचनीय है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र–2018 में इस कार्यालय के विभिन्न कार्यालय ज्ञापों द्वारा अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / यॉत्रिक) के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये है।

अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय द्वारा अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / यॉत्रिक) के निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के कम में किसी भी अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / यॉत्रिक) को उनके गृह तहसील में पद स्थापित न किया जाय।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता
8/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– 4186 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/ई–6/स्था0, दिनांक 8 जून 2018

–:कार्यालय–ज्ञापः–

स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख कालम–5 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–6 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
01	संजीव कुमार	पिथौरागढ	16.2.80	लघुडाल खण्ड पिथौरागढ	नलकूप खण्ड, टनकपुर (चम्पावत क्षेत्र)

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1 स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।

2 स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।

3 स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।

4 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5 स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6 यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7 यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व" उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

8 जो कोई, इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या– 4186 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित हैः–

1 मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2 संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3 संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4 संबधित कोषाधिकारी।
5 वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता
8/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 4187 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक–2 / ई–6 / स्था0, दिनांक 8 जून 2018

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख कालम–5 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–6 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री महेश चन्द्र	मेरठ	12.7.63	स्थापना खण्ड, रूड़की	लघु डाल खण्ड, पिथौरागढ	स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–7 (क), (ख) से अच्छादित

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1 स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।

2 स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।

3 स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।

4 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5 स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6 यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7 यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व" उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

8 जो कोई, इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या– 4187 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक–2 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:–

1 मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2 संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3 संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4 संबंधित कोषाधिकारी।
5 वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मोहन चन्द्र पण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता
8/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– 4188 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/ई–6/स्था0, दिनांक 8 जून 2018

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख कालम–5 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–6 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री अनुज जैन	सहारनपुर	9.5.76	सिंचाई कार्यशाला रूड़की	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा	स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–7 (क), (ख) से अच्छादित

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1 स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।

2 स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।

3 स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।

4 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5 स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6 यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7 यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व" उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

8 जो कोई, इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या– 4188 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:–

1 मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2 संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3 संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4 संबंधित कोषाधिकारी।
5 वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मोहम्मद चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता
8/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

4189
संख्या– 48 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/ई–6/स्था0, दिनांक 8 जून 2018

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख कालम–5 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–6 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री अनिल कुमार यादव	हरिद्वार	14.11.78	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–7 (क), (ख) से अच्छादित

नियत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1 स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।

2 स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।

3 स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।

4 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5 स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6 यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7 यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व" उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

8 जो कोई, इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

4189
संख्या– /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:–

1 मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2 संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3 संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4 संबंधित कोषाधिकारी।
5 वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता
8/6/18

6

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– 4190 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/ई–6/स्था0, दिनांक 8 जून 2018

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख कालम–5 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–6 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
01	अतुल हरि अग्रवाल	हरिद्वार	4.7.73	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–7 (क), (ख) से अच्छादित

नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1 स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।

2 स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।

3 स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।

4 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5 स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6 यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7 यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व" उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

8 जो कोई, इस के अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धनों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

संख्या– 4190 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:–

1 मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2 संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3 संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4 संबंधित कोषाधिकारी।
5 वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता
8/6/18